



लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

332, हिन्द नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226021
फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

श्री सौरभ कुमार पाण्डेय (डायरेक्टर),
प्रोप्रेलेरिटी होम्स प्रा० लि०,
प्रथम तल, सालीमार टावर विभूति खण्ड,
गोमतीनगर लखनऊ-226010

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 347 दिनांक 14.09.15 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा बिजनौर परगना बिजनौर लखनऊ में भूखण्ड संख्या/गाटा संख्या 2335, 2336, 2341, 2340 भाग पर संशोधित ग्रुप हाउसिंग के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (पृष्ठ सं० 1 से 13) पर आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर



अधिकारी का नाम श्री एस० पी० सिंह

अधिकारी का पदनाम - वरिष्ठ प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 603

दिनांक 18/01/2016

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या/ल0औ0वि0प्रा0 दि0.....

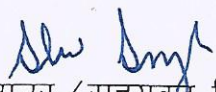
निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

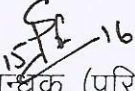
यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिंग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ श्री सौरभ कुमार पाण्डेय पुत्र श्री सूर्य कुमार पाण्डेय डायरेक्टर प्रोप्रेलेरिटी होम्स प्रा0 लि0 नि0 फ्लैट न0 903 ऑरेंज काउन्टी इन्ड्रिा पुरम गाजियाबाद उ0प्र0 रजिस्टर्ड आफिस सी-56 ए /13 सेकेन्ड फ्लोर सेक्टर 62 नोएडा 201307 द्वारा ग्राम बिजनौर परगना बिजनौर तहसील लखनऊ जिला लखनऊ के खसरा सं0 2335,2336,2341,2340 के क्षेत्रफल 28710.00 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर बहुमंजिले भवन (आवासीय)/संशोधित ग्रुप हाउसिंग जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। चिन्हित संशोधित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत संशोधित बहुमंजिलीय भवन (आवासीय) का अनुमोदन पत्रावली संख्या 220/लीडा/सी.ई.ओ. /2015-16 के नोट पृष्ठ सं0 1से 9 पर दिनांक 14.01.16 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।


सहायक प्रबंधक (परि0)
(जोन – लखनऊ)


प्रबन्धक (परियोजना)


टाउन प्लानर/सहयुक्त नियोजक


वरिष्ठ प्रबंधक (परियोजना)

दिनांक— .

● नोट निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के उपरांत स्थल पर विकास/निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
निम्न शर्तें प्रभावी होगी:-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि निर्माण आज्ञानुकूल नहीं बनी तो लीडा द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई निर्माण बिना लीडा की अनुमति प्राप्ति किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उनके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को लीडा द्वारा हटया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन निर्माण बनाने वाले से बसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति पत्र के सड़क या गली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे पोर्टिको बारजा, तोड़ा सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर नये निर्माण की स्वीकृति चाहें उसके साथ नक्शे में दिखाई भी गयी हो, नहीं प्रदान की जावेगी। इन निर्माणों के लिये प्राधिकरण अधिनियम की धारा के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. निर्माण से यदि नाली की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग को निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण टकली गई हो) हानि पहुँचे तो यह निर्माण स्वामी को गत तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा तो उसे पहले ही तोड़कर अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को संतोष हो जावे में कर देना होगा।
4. निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्टिक सिटी रूल्स के नियम 1970 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि लीडा की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार लीडा को निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना निर्माण समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा। यदि सूचना न दी गयी तो यह समझा जायेगा कि निर्माण पूर्ण हो गया।
6. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी। और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्माण आदि हटावे जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इस लिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण को प्रारम्भ करे।
7. प्रार्थी को नियमानुसार प्राधिकरण को विकास अथवा निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।
8. प्रस्तावित निर्माण/भवन में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, वाटर सप्लाई, विद्युतीकरण, सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर निर्धारित विशिष्टताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप कराये जायेंगे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यो को निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

६

9. वाहय अवस्थापनागत सुविधाओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्चे पर कराया जायेगा।
10. विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है। प्रश्नगत स्वीकृति प्लान के उसी भाग के लिए मान्य होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है।
11. विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप /कालोनियों में एस0टी0पी0/म्युनिसिपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55-पर्या0/2008 दि0 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट के अंतिम निस्तारण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति/अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
12. योजना का कम्प्लीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किया जायेगा जब विकास कर्ता द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्यो व निर्माण के साथ-साथ ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
13. विकासकर्ता द्वारा ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवन, तथा सामुदायिक सुविधाएं ले-आउट में ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित किये जायेगें, जिनका स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पास उपलब्ध हो।
14. विकास के सभी कार्य निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित कराये जायेगें। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यो का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विक्रय योग्य भूमि का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीडा के समक्ष/पास बंधक के रूप में रखा जायेगा अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराशि की बैंक गारन्टी प्रेषित की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य न कराये जाने अथवा निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के अनुरूप न करवाए जाने की स्थिति में बंधक भूखण्डों को विक्रय कर अथवा बैंक गारन्टी को कैश कर विकास कार्य लीडा द्वारा सम्पादित कराये जायेगें। विकास कार्य सम्पादित होने पर समानुपातिक रूप से भूखण्ड अवमुक्त किये जायेगें अथवा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
15. विकासकर्ता द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोज्यालोजी के आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
16. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यू0पी0पी0सी0एल0 से सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा



ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।

17. विकासकर्ता द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तथा निर्माण/विकास गतिविधियों हेतु बार चार्ट प्रस्तुत करना होगा, जो सी0ए0 द्वारा सत्यापित होगा। योजना के समस्त कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने होंगे। यदि भविष्य में मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निर्देश, किन्हीं प्रकार के शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते हैं तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।
18. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड वालकनी, छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहें भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी।
19. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।
20. योजना के मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्यों के संबंध में लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।
21. विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यों का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
22. मानचित्र में दर्शित अशमनीय निर्माण यदि निर्धारित तिथि तक पक्ष द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी /प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का प्रतिशत हर्जाना कार्यवाही करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा।
23. इस अनुज्ञा से संदर्भित भू/गृह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरायोग्य अथवा/विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भौति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
24. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
25. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी0 व आर्की0 की देखरेख में निर्माणकार्य कराया जायेगा तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से लीडा को अवगत करना होगा। गुणवत्ता की विशिष्टताओं में किसी प्रकार की कमी के लिये लीडा जिम्मेदार नहीं होगा।



26. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है उस अवधि में कार्यपूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस लीडा की भवन नियमावली 2009 व अन्य नियमों के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल देय होगा।
27. प्राधिकरण के सहा० प्रबंधक परि० व अन्य अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
28. प्राधिकरण की भवन नियमावली एवं अन्य शर्तें आवेदक को मान्य होगी।
29. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी पत्र सं० प.स. 1896/एफ०एस०-13 दि० 28.12.15 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
30. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सं० पत्र सं० ए०ए०आई०/एन०ओ०सी०/2013 /264 /2532 दि० 22.08.13 उक्त भूमि पर 47.00 मीटर के भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है, में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जायेगा।
31. बृक्षारोपण का अनुपालन किया जायेगा।
32. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय-2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।
33. सड़को के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिक-ऑन-एज"/ लूज स्टोन पेवमेन्ट"का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।
34. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
35. किन्ही भी शर्तों का अनुपालन न करने पर मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
36. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ई०आई०ए० एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी एवं उसी के उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
37. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
38. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्त की जा सकती है।
39. ग्रीन बिल्डिंग के संबंध में शासनादेश सं० 1835/8-3-15-13विविध/15 दि० 12.10.2015 के अनुसार ही कार्य कराये जाने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा जिसके उपरांत ही कम्पनसेक्ट्री एफ०ए०आर० (05 प्रतिशत) अनुमन्य किया जायेगा।



40. बेसमेंट व किसी प्रकार के खनन आदि का कार्य किया जाता है तो विकासकर्ता को खनन कार्य किये जाने से पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगी एवं नियमानुसार समस्त शुल्क आदि जमा करना होगा। खनन का कार्य किसी दक्ष तकनीकी ब्यक्ति के देखरेख में कराना होगा एवं शासन की खनन नियमावली का पालन सुनिश्चित करना होगा।
41. किन्ही भी शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
42. प्रोप्रेलेरिटी होम्स प्रा० लि० द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को लिखित में सूचना देनी होगी।

सहायक प्रबन्धक (परि०)

प्रबन्धक (परि०)

टाउन प्लानर/सह०नियोजक

पत्र सं०/लीडा/ए०सी०ई०ओ.....दिनांक

प्रतिलिपि-

1. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आंशिक विकासात्मक शुल्क की गणना एवं देयता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित सहा०प्रबन्धक परि० (जोन-लखनऊ) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तोंके अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, कराये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

वरि० प्रबन्धक (परि०)